## **Rule 90 : Acknowledgement**

- (1) Where the application relates to a claim for refund from the electronic cash ledger, an acknowledgement in FORM GST RFD-02 shall be made available to the applicant through the common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.
- (2) The application for refund, other than claim for refund from electronic cash ledger, shall be forwarded to the proper officer who shall, within a period of fifteen days of filing of the said application, scrutinize the application for its completeness and where the application is found to be complete in terms of sub-rule (2), (3) and (4) of rule 89, an acknowledgement in FORM GST RFD-02 shall be made available to the applicant through the common portal electronically, clearly indicating the date of filing of the claim for refund and the time period specified in sub-section (7) of section 54 shall be counted from such date of filing.
- (3) Where any deficiencies are noticed, the proper officer shall communicate the deficiencies to the applicant in **FORM GST RFD-03** through the common portal electronically, requiring him to file a fresh refund application after rectification of such deficiencies:
  - <sup>1</sup>[Provided that the time period, from the date of filing of the refund claim in FORM GST RFD-01 till the date of communication of the deficiencies in FORM GST RFD-03 by the proper officer, shall be excluded from the period of two years as specified under sub-section (1) of Section 54, in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectification of the deficiencies.]
- (4) Where deficiencies have been communicated in FORM GST RFD-03 under the State Goods and Services Tax Rules, 2017, the same shall also deemed to have been communicated under this rule along with deficiencies communicated under sub-rule (3).
- <sup>2</sup>[(5) The applicant may, at any time before issuance of provisional refund sanction order in FORM GST RFD-04 or final refund sanction order in FORM GST RFD-06 or payment order in FORM GST RFD-05 or refund withhold order in FORM GST RFD-07 or notice in FORM GST RFD-08, in respect of any refund application filed in FORM GST RFD-01, withdraw the said application for refund by filing an application in FORM GST RFD-01W.
- (6) On submission of application for withdrawal of refund in FORM GST RFD-01W, any amount debited by the applicant from electronic credit

<sup>1</sup> Proviso inserted by Noti. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

<sup>2</sup> Sub-rule (5) and (6) inserted by Noti. No. 15/2021–Central Tax, dt. 18-05-2021 w.e.f. 18-05-2021.

## Central Goods & Services Tax Rules, 2017

ledger or electronic cash ledger, as the case may be, while filing application for refund in **FORM GST RFD-01**, shall be credited back to the ledger from which such debit was made.]

## केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

## नियम 90 : अभिस्वीकृति

- (1) जहां आवेदन इलैक्ट्रानिक बही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक प्ररूप जीएसटी आरएफडी—02 में पावती समान्य पोर्टल इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रतिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाइल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी।
- (2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलैक्ट्रानिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है समुचित अधिकारों के अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाइल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2), (3) और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो प्ररूप जीएसटी आरएफडी—02 में एक पावती आवेदक को समान्य पोर्टल इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा फाइल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि का समय से फाइल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा।
- (3) जहां कोई किमयां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरएफडी—03 में समान्य पोर्टल से इलैक्ट्रानिक माध्यम से किमयों को संसूचित करेगा, ऐसी किमयों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाइल करने की उससे अपेक्षा करेगा। <sup>1</sup>[परन्तु यह कि किमयों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी—01 में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तारीख से समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी—03 में किमयों को संसूचित करने की तारीख तक की, समय अविध को, धारा 54 की उपधारा (1) के तहत् निर्दिष्ट दो साल की समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।
- (4) जहां किमयां प्ररूप जीएसटी आरएफडी—03 में राज्य जीएसटी नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित किमयों सिहत इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा।
- <sup>2</sup>[(5) आवेदक, किसी प्ररूप जीएसटी आरएफडी—01 में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी—04 में अनंतिम प्रतिदाय मंजूरी आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी—06 में अंतिम स्वीकृति प्रतिदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी—05 संदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी—07 में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी—08 में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप जीएसटी आरएफडी—01डब्लू, में आवेदन दायर करके प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन को वापस ले सकेगा।
- (6) प्ररूप जीएसटी आरएफडी—01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय, यथास्थिति, इलेक्ट्रोनिक उधार खाता या इलेक्ट्रोनिक नगद खाता से आवेदक द्वारा विकलित कोई रकम प्ररूप जीएसटी आरएफडी—01 डब्लू में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 15/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

<sup>2</sup> अधिसूचना क्रमांक 15/2021—केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा उपनियम (5) और (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।